

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.27(7)न्याय/2014

जयपुर, दिनांक


22 JUL 2018

:: परिपत्र ::

विधि सेवा संवर्ग/विधि रचना सेवा संवर्ग के राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे अपना अचल सम्पति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE पर ऑन लाईन करेंगे। इसके पश्चात् भी समय सीमा अवधि में काफी संख्या में राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पति विवरण नहीं भरा गया है।


कार्मिक (क-1/गोपनीय) विभाग ने निर्देशित किया है कि सभी राजपत्रित अधिकारियों को जिन्होंने अपना अचल सम्पति विवरण दिनांक 31.05.2018 तक ऑन लाईन अपलोड नहीं किया है, उन्हें दिनांक 01.07.2018 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जाएगी। इसके लिए कार्मिक विभाग की वेबसाईट से राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा अचल सम्पति विवरण भरा गया है अथवा नहीं की जानकारी प्राप्त कर लें। अगर वेबसाईट पर नाम उपलब्ध नहीं है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले राजस्थान राज काज टीम से सम्पर्क कर सुनिश्चित करें कि उक्त अधिकारी ने अचल सम्पति विवरण भरा है या नहीं। राजस्थान राज काज टीम के सदस्यों के नाम मय मोबाईल नं. निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम	मोबाईल नं.
1.	श्रदा अधिकारी	7073334725
2.	राजेश भटनागर	9828340563
3.	मनोज शर्मा	9828226768
4.	मोहम्मद आरिफ	9549520764

  
(मधुसूदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विधि सेवा संवर्ग/विधि रचना सेवा संवर्ग के समस्त अधिकारीगण।
2. संबंधित विभाग को भेजकर लेख है कि विधि सेवा संवर्ग/विधि रचना सेवा संवर्ग के समस्त अधिकारीगण को दिनांक 01.07.2018 की स्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने से पूर्व उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करें।
3. प्राग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव